

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त अयोध्या।

पत्रांक 3280 / 14-10 दिनांक, अयोध्या, अप्रैल 28 / 2023।

श्रीवा में,

Ad-50

cc: nodal
12/09/23
विषय:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ।

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पर किमी० 112.00 (सुलतानपुर/अमेठी जनपद बार्डर) के किमी० 115.588 एवं किमी० 122.413 से 129.293 एवं किमी० 147.725 से 148.825 (निकट संजय गाँधी पालिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन संरक्षित वन क्षेत्र में बिछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/पाइपलाईन/153911/2022

सन्दर्भ:-

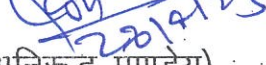
सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन की पत्र संख्या-पी-297/81-2-2022-800(319)/2022 दिनांक 26.09.2022 एवं आपका पत्रांक 1168/11-सी- दिनांक 27-09-2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी के पत्रांक 2778/14-1 दिनांक 20.04.2023 द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राप्त बिन्दुवार अनुपालन आख्या एवं बचनबद्धता प्रमाण पत्र तीन प्रतियों में संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।



पृ०सं० / उक्त दिनांक।

1-

प्रतिलिपि-प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग अमेठी को उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे कृपया सुनिश्चित करें, कि जब तक उक्त गैर वानिकी कार्य कराये जाने की विधिवत स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त न हो जाय तब तक किसी भी प्रकार का गैर वानिकी कार्य कदापि न प्रारम्भ होने दें।

2-

प्रतिलिपि- मुख्य प्रबन्धक, ग्रीन गैस लि० प्रथम तल, 436 अन्तरदीप काम्पलेक्स, देवकाली बाईपास, अयोध्या-224001 को सूचनार्थ प्रेषित।

(ड० अनिरुद्ध पाण्डेय)

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक

सामाजिक वानिकी, सरयू वृत्त, अयोध्या।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग।

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश)

पत्रांक 2778 / 14-1
सेवा में,

अमेठी

दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, सरयू क्षेत्र,
अयोध्या।

विषय- जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि0, अयोध्या द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी पर किमी0 112.00 (सुलतानपुर/अमेठी जनपद बार्डर) के किमी0 115.588 एवं किमी0 122.413 से 129.293 एवं किमी0 147.725 से 148.825 (निकट संजय गाँधी पॉलिटेक्निक कालेज, जगदीशपुर) कुल लम्बाई 11.568 किमी0 एवं 0.34704 हे0 संरक्षित वन भूमि पर मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच.डी.डी. तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन संरक्षित वन क्षेत्र में विछाये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-पी-297/81-2-2022-800(319)/2022 दिनांक 26.09.2022 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-1168/11-सी-FP/UP/Pipeline/153911/2022 दिनांक 27-09-2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र जो इस कार्यालय को भी पृष्ठांकित है, का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसमें सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन द्वारा उपरोक्त विषयांकित कार्य हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अन्तर्गत प्रदान की गई है।

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गयी बचनबद्धता प्रमाण-पत्र व बिन्दुवार अनुपालन आख्या 04 प्रतियों में संलग्नकर आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
संलग्नक-उपरोक्तानुसार (04 प्रतियों में)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी

अमेठी

26/10/2023

पत्रांक / उक्तदिनांकित

- प्रतिलिपि-निम्नलिखित को उपरोक्त विषयक सन्दर्भित-पत्र के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित:-
- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
 - 2- मुख्य प्रबन्धक, ग्रीन गैस लि0, प्रथम तल, 436, अंतरदीप काम्पलेक्स, देवकाली बाईपास, अयोध्या-224001

(डी0एन0सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग

FP/UP/Pipeline/153911/2022 के सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
1	2	3	4	5
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-1 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, जिसकी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ०प्र०, के पत्र सं०-661/14-1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फंड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन-लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-2 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फंड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन-लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।	
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त सं०-3 के अनुपालन में FRA Certificate प्राप्त कर लिया गया है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-4 के सम्बन्ध में दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
5	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-5 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
6	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि०, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-6 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-7 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-8 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, Department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-9 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेन्सी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-10 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-11 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त सं0-12 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल(https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
13	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन /मार्गों/सड़कों / वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-13 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन/ मार्गों/सड़कों/ वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-14 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
15	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-15 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भरकर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा, जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
16	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-16 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-17 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी गयी है, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्ण अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-18 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि अनुक्षण का कार्य सम्पादन करने से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-19 के सम्बन्ध में यह वचनबद्धता दी गयी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	(i) याचक विभाग द्वारा शर्त के अनुपालन में प्रदेश में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु0 1,82,42,796/- (एक करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार सात सौ छियानबे मात्र) की धनराशी एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यू0टी0आर0 सं0-UTIBR52017110200618198, दिनांक-02.11.2017 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। (ii) याचक विभाग, सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 गैस पाइप लाईन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाईन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्गहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-20 के सम्बन्ध में राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के बिन्दु 02 के सम्बन्ध में दी गयी आख्या व वचनबद्धता दी गयी है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-21 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि भू-स्वामित्व वाले विभाग एन0एच0ए0आई0 से अनापत्ति प्रमाण पत्र (छायाप्रति संलग्न) प्राप्त कर लिया गया है तथा यह वचनबद्धता दी गयी है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा शर्त संख्या-22 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है कि उनके पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उन्हें कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन भी प्राप्त है, जिसकी प्रति संलग्न है तथा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता भी दी गयी है जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
23	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी(पीटी) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र सं0 J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-23 इस परियोजना में लागू नहीं है, जिसके सम्बन्ध में ग्रीन ग्रेस लि0, अयोध्या द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98 - एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया है।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-24 के सम्बन्ध में ग्रीन ग्रेस लि0, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया है कि भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इस सम्बन्ध में ग्रीन ग्रेस लि0, अयोध्या द्वारा दी गयी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-25 के सम्बन्ध में ग्रीन ग्रेस लि0, अयोध्या द्वारा अवगत कराया गया है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा, जिससे मक डिस्पोजल योजना इस परियोजना पर लागू नहीं होती है, जिससे सम्बन्धित पत्र व वचनबद्धता इस पत्र के साथ संलग्न है।	
26	नोडल अधिकारी उ0प्र0 द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख को इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।	इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है।	
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-27 के सम्बन्ध में ग्रीन ग्रेस लि0, अयोध्या द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय किया जाएगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र.सं.	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
28	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-28 के सम्बन्ध में ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
29	उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-29 के सम्बन्ध में ग्रीन ग्रैस लि0, अयोध्या द्वारा यह वचनबद्धता दी गयी है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अधीन होगी, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0 ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, एवं अन्य अनुमन् य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ0प्र0, के पत्र सं0- 661/14-1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार पायमेंट पोर्टल के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फंड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन-लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-30 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा, परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे0 संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फंड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन-लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।	
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की विदुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।	शर्त संख्या-31 के अनुपालन में उक्त परियोजना में प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित है, का प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त का विवरण	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दी गई अनुपालन आख्या	वन संरक्षक द्वारा दी गई अनुपालन आख्या
32	प्रश्नगत सैद्धान्तिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।	शर्त संख्या-32 के अनुपालन में अवगत करना है कि उक्त प्रकरण में किसी बिन्दु पर कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस सम्बन्ध में वचनबद्धता दी गयी है कि भविष्य में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर प्रयोक्ता अभिकरण स्वयं उत्तरदायी होगा, जो कि इस पत्र के साथ संलग्न है।	

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार

(डी०एन०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

अमेठी वन प्रभाग



ग्रीन गैस लिमिटेड

(गैल (इण्डिया) लिमिटेड एवं इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का संयुक्त उद्यम)

GREEN GAS LIMITED

(A joint venture of GAIL (India) Ltd. & Indian Oil Corporation Ltd.)

द्वितीय तल, फॉरच्युना टॉवर, 10, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०-226001

Ref:- GGL/PIPELINE/EAST/UP/AMETHI/FOREST/05, Fortuna Tower, 10, Rana Pratap Marg, Lucknow, U.P.-226001 Date: 31.12.2022

CIN No. U23201UP2005PLC030834

For better environment
and clean air to breathe

प्रभागीय वनाधिकारी,
अमेठी वन प्रभाग
अमेठी, उत्तर प्रदेश।

विषय: जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाइन/153911/2022)

सन्दर्भ: आपका पत्रांक संख्या- 661/14-1, अमेठी दिनांक- 30.09.2022 व सचिव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ०प्र० शासन के पत्रांक सं०- पी-297/81-2-2022-800(319)/2022, दिनांक- 26.09.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में उ०प्र० शासन द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति आदेश दिनांक-26.09.2022 में अंकित समस्त शर्तों की टेबुलर फार्म में अनुपालन आख्या का बिन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
2	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal.	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ०प्र०, के पत्र सं०- 661/14-1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फंड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन-लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
3	The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन है तथा MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि Final Approval से पूर्व FRA Certificate प्राप्त कर लिया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
4	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986 if applicable.	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
5	The lay out plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लान में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
6	No labour camps shall be established on the forest land	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
7	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

(डी०एन०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी
अमेठी वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ

Chief Manager-Projects /OIC

Registered Office : 2nd Floor, Fortuna Tower, 10, Rana Pratap Marg, Lucknow, U.P.-226001

Phone : 0522-4088530, Fax : 0522-4088529, website : www.gglonline.net

8	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
9	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
10	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act, 1980 and action would be taken as per the MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
11	Any other condition that the ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife.	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
12	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर उपलब्ध करा दी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
13	पाइप लाइन/ टेलीफोन लाइन/ मार्गों/ सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे – किनारे ही बिछाये जायेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान(Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
14	पाइप लाइन/टेलीफोन लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
15	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेंच/पिट को भर कर कम्पैक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
16	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
17	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
18	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
19	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

(डी०एन०सिंह)
प्रधानीय वनाधिकारी
वन विभाग, अयोध्या

VINAY BHANDWAL
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

20	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित बिन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा। (i) सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनियां, जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है, उस कम्पनी से पूर्व की भांति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी। (ii) ऐसी कम्पनियां, जो गैस पाइप लाइन के द्वारा केवल शहर में गैस आपूर्ति हेतु पाइप लाइन बिछाती हैं अर्थात् जिसका दायरा एक शहर होता है, उस कम्पनी को भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त स्वीकृति में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत सामान्यतया दुगुने अवनत वन या समतुल्य गैर वनभूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 5 वर्ष तक के रख-रखाव के लिये निर्देशित धनराशि के समतुल्य धनराशि अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार के द्वारा जारी शासनादेश में भारत सरकार की शर्तों के अतिरिक्त नवीन शर्त के रूप में उल्लेख किया जायेगा। इस धनराशि को प्रथमतया शहरी वृक्षारोपण में व्यय किया जायेगा।	(i) याचक विभाग द्वारा शर्त के अनुपालन में प्रदेश में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रु0 1,82,42,796 /—(एक करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार सात सौ छियानबे मात्र) की धनराशी एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यू0टी0आर0 सं0-UTIBR52017110200618198, दिनांक-02.11.2017 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दिया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। (ii) याचक विभाग, सी0एन0जी0/पी0एन0जी0 गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्शहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।
21	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा इस पत्र के साथ संलग्न है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
22	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है, जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
23	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02.12.2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	आवश्यकता नहीं है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
24	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत किया जाये, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया हो।	याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
25	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए धनराशि उपलब्ध करायेगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उतसर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है व जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण-पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

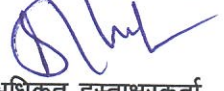
(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

26	नोडल अधिकारी, उ०प्र० द्वारा प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस तरह के जारी अनुमति की रिपोर्ट, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार को प्रेषित करेंगे।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
27	प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हर संभव उपाय करेंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
28	प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
29	उक्त के अतिरिक्त समय—समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय—समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।
30	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय में दाखिल रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या—566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या—5—3/2007—एफ०सी०, दिनांक 05.02.2009 के क्रम में भारत सरकार द्वारा रिवाइज आदेश दिनांक 06.01.2022 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी०, एवं अन्य अनुमन् य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ०प्र०, के पत्र सं०— 661/14—1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है। इसके अनुपालन में ऑन—लाइन चालान की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।
31	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति की बिंदुवार अनुपालन आख्या में DFO द्वारा प्रस्तावित स्थल ROW से आच्छादित होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के पश्चात विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	विभागीय स्तर से निस्तारण संबंधी।
32	प्रश्नगत सैद्धांतिक स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की रिपोर्ट/संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छिपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होगा। इसके अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण—पत्र इस पत्र के साथ संलग्न है।

अतः आपसे निवेदन है कि विधिवत स्वीकृति प्रदान करने के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें। एवं उपरोक्त विषयांकित मार्गों पर भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की नवीनतम जारी गाइड लाइन (Handbook), दिनांक 28.03.2019 के अध्याय—11 के पैरा नं०— 11.2 के क्रम में Working Permission जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक:— उपरोक्तानुसार 05 प्रतिथों में बिन्दुवार अनुपालन आख्या।

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

भवदीय,
कृते ग्रीन गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-1

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत, हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-2

याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ०प्र०, के पत्र सं०- 661/14-1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**
एनएचआर वन संरक्षण A Government of India Undertaking
 

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 30-09-2022

Agency Name.	GREEN GAS LIMITED
Application No.	72153911995
MoEF/SG File No.	P-297/81-2-2022-800(319)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address.	2nd Floor, Fortuna Tower, 10, Rana Pratap Marg Lucknow
Amount(in Rs)	332388/-

Amount in Words : Three Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072153911995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया  **Union Bank of India**
एनएचआर वन संरक्षण A Government of India Undertaking
 

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds
Date : 30-09-2022

Agency Name.	GREEN GAS LIMITED
Application No.	72153911995
MoEF/SG File No.	P-297/81-2-2022-800(319)/2022
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	2nd Floor, Fortuna Tower, 10, Rana Pratap Marg Lucknow
Amount(in Rs)	332388/-

Amount in Words : Three Lakh Thirty-Two Thousand Three Hundred and Eighty-Eight Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	1509072153911995 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

• This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank, epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Date – 17-11-2022

To
GREEN GAS LIMITED
SECOND FLOOR-FORTUNA
TOWERS10- RANA PRATAP
MARG LUCKNOW UTTAR PRADESH
226004

REMITTANCE ADVICE

UTR / REFERENCE NUMBER: AXISP00337636059

Processed at SOL: N407 – HEWETT ROAD LUCKNOW BRANCH

We confirm having received your request for outward payment on 14-NOV-22
As per below details.

Payment Mode	NEFT	Beneficiary Bank Details	
Debit Account Number	407010200002028	Bank Name	UNION BANK OF INDIA
Debit Account Name	GREEN GAS LIMITED	Bank IFSC Code	UBIN0996335
Remittance Details		Beneficiary Details	
Remittance Amount	332388.00 INR	Beneficiary Name	Uttar Pradesh CAMPA
Processing Date	14-11-2022	Beneficiary Account Number	1509072153911990


ASHISH KUMAR
DVP BRANCH HEAD
S. S. No. 2939
Axis Bank Ltd., Hewett Road, Lko.


(डी०एन०सिंह)
प्रवागीय वनाधिकारी
कृषि प्रभाग, अयोध्या


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

102 44 HEWETT ROAD SHIVAJI MARG LUCKNOW Lucknow . Uttar Pradesh . India 226001
REGISTERED OFFICE : "Trishul" - 3rd Floor Opp. Samartheshwar Temple, Near Law Garden,
Ellisbridge, Ahmedabad - 380006. Telephone No. 079-26409322 Fax No. - 079-26409321
CIN: L65110GJ1993PLC020769 Website - www.axisbank.com



AXIS BANK



PARIVESH
परिवेश

"Pro Active and Responsive facilitation by Interactive, Virtuous and Environmental Singlewindow Hub"

Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Government of India



My Account ▾ My Proposals Environment Clearance ▾ Only CRZ Clearance ▾ My Proposals Forest Clearance ▾ My Proposals Wildlife Clearance ▾ Help ▾

8:29:38 PM

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help



Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)				Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	PP/UP/Pipeline/153911/2022 Green Gas Limited project for Laying of 10" Carbon Steel Gas Pipeline along NH - 731 (Left Side) from Km. 112.000 to Km. 115.568, from Km 122.413 to Km 129.293 & from Km 147.725 to Km 148.825 of Total Km. 11.568 & 0.34704 Ha. of Protected Forest in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi, UP.	PIPELINE1539112022957	2153911995	26 Sep 2022	CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- HPV: 332380/- NA: 0/- NA: 0/- NA: 0/- Total: 332380/-	Adst CA: 0/- CAT: 0/- Adst PA: 0/- NA: 0/-	0/- 0/- 0/- 0/-	 Paid	Fund Demand Verified by :30 Sep 2022 Modal Officer On :30 Sep 2022 Bank Name :Union Bank Of India Mode of Payment :NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On :30 Sep 2022 Transaction Date :15 Nov 2022	Demand Letter Generated Challan	

100%

SWACHH
BHARAT

Digital India

data.gov

India.gov.in

CP

MY
GOV

MeitY

PM

PM4INDIA

PM4INDIA

(डी०एन०सिंह)
प्रशासकीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-3

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रक्रियाधीन है तथा MOEF&CC letter No. 11-43/2013-FC dated 26th February, 2019 के अनुपालन में याचक विभाग द्वारा जिलाधिकारी, अमेठी से FRA प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया गया है, जो कि संलग्न है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जुन्न प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

FORM-I

(for-plantations on non-forest land and notified as "protected forest" on or after 13th December 1930 and located in villages having no recorded Scheduled Tribe Population as per 2001 and 2011 census)

[Rule 6 (3) (e) of Forest (Conservation) Rules 2003 as amended up to date]

Government of Uttar Pradesh

Office of District Collector.....

No, 2347/14-10.....Dated, 4-03-2023

TO WHOM SOEVER IT, MAY CONCERN

In compliance of the Rule 6(3)(e) of the Forest (Conservation) Rules, 2003 [as amended vide the Forest (Conservation) Amendment Rules 2014; Forest (Conservation) Second Amendment Rules 2014; and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016] it is certified that **0.34704 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Green Gas Limited** for Undar ground **Corban Steel Gais Pipeline** laying in the district falls within the jurisdiction of **Amethi District, Uttar Pradesh Varanasi to Lucknow NH-731 Km 112.000 to 115.588 & Km 122.413 to 129.293 & Km 147.725 to 148.825 Total lenth Km 11.568**, in **Musafirkhana tehsil** having no recorded population of Scheduled Tribes as per Census of India 2001 and 2011. It is further certified that:

(a) The Protected Forest (s) namely **Varanasi to Lucknow (Sultanpur-Lucknow -Baliya)** Road involved in the above village are plantations raised on non-forest land on or after 13th December 1930 and were notified as PF vide notification no (s) 1115/14-331-50 dated-10-02-1960.

(b) Therefore, these PFs neither have residing Scheduled Tribes nor have Other Traditional Forest Dwellers (Residing in the PFs for more than 75 years) having rights recognized under Forest Rights Act, 2006.

(D.N.Singh)

Divisional Forest Officer
Social Forestry Division Amethi

प्रभागीय वन्यविकास
वन प्रभाग अमेठी

(Rakesh Kumar Mishra)

District Magistrate
Amethi
जिला मजिस्ट्रेट
अमेठी (उ०प्र०)

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-4

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

(डी०एन०सिंह)
प्रशासीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA



जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-5

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रकरण के ले-आउट प्लॉन में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जायेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-6

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान वन भूमि पर कोई श्रमिक कैम्प स्थापित नहीं किया जायेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-7

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि श्रमिकों को वैकल्पिक ईंधन, अन्य व्यवस्था आदि की पूर्ति याचक विभाग द्वारा की जायेगी।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-8

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के प्रोजेक्ट की अवधि या परियोजना के अवधि के पक्ष में दी जाने वाले पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।


(डी०एन०सिंह)
प्रमाणीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-9

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग, या व्यक्ति को प्रस्तावित वन भूमि हस्तांतरित नहीं की जायेगी।

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-10

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन पाया जाता है तो वन संरक्षण अधिनियम-1980 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार MoEE&CC Guideline F.No.11-42/2017-FC dt 29/01/2018 के तहत स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-11

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-12

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या ई/पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग-अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-13

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन/मार्गों/सड़कों/वर्तमान (Surface Right) में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछायी जायेगी।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जन प्रभाग.अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाइपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-14

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जाने वाले ट्रेंच की गहराई 2.00 मीटर तथा चौड़ाई 1.00 मीटर से अधिक नहीं होगी।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

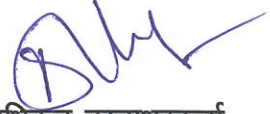
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-15

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि खोदी गयी ट्रेन्च/पिट को भर कर कम्पेक्ट कर दिया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-16

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है कि स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी एवं परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

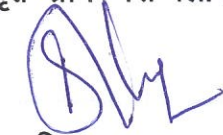
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-17

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में सहमति दी जाती है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जब प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-18

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग से अनुमति ली जायेगी।


(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-19

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-20

- (i) याचक विभाग द्वारा शर्त के अनुपालन में प्रदेश में किसी एक स्थान पर कुल 20 कि.मी. तीन लाईनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु रू० 1,82,42,796/- (एक करोड़ बयासी लाख बयालीस हजार सात सौ छियानबे मात्र) की धनराशी एन०ई०एफ०टी० के माध्यम से यू०टी०आर० सं०-UTIBR52017110200618198, दिनांक- 02.11.2017 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दिया गया है।
- (ii) याचक विभाग, सी०एन०जी०/पी०एन०जी० गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पनी है जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती हैं तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अन्तर्गहरीय, शहर से ग्रामीण, अन्तर्जिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश है। अतः लागू नहीं होता है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
मुख्य प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक

/14-1

दिनांक :

आगरा : 25, जनवरी, 2018

सेवा में,

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

विषय :

आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर यू0पी0एस0आई0डी0सी0 बस स्टेण्ड से गेल आगरा सिटी गेट तक एवं शमशाबाद मार्ग पर 100 फुटर (इन्द्रापुरम) से पावरग्रिड कार्पो0 लि0 तक ग्रीन गैस लि0 द्वारा 8" गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.067184 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :

उ0प्र0 शासन लखनऊ का पत्रांक-पी-192/14-2-2017-800(189/2016) दिनांक 23.06.2017 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-1553/11सी-आगरा दिनांक 11.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त प्रकरण में प्रयोक्ता द्वारा शर्तों का पालन कर लिया गया है एवं जमा धनराशि की पूर्ति कैम्पा द्वारा कर ली गयी है जिसकी प्रमाणित लग्न करते हुए संशोधित बिन्दुवार अनुपालन आख्या निम्न प्रकार सेवा में प्रेषित है :-

भारत सरकार की शर्त		शर्तों का अनुपालन आख्या
1.	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
2.	गैस पाइप लाइन/ मार्गों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही बिछाये जायेंगे।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
3.	गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 1.00 मीटर और चौड़ाई 0.8 मीटर से अधिक न होगी।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
4.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	इस आशय का प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
5.	प्रस्तावक एजेन्सी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
6.	वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	इस आशय का प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
7.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जाये।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
8.	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत् बना रहेगा।	आवश्यकता नहीं है।

Com-3/revenue/Letter/FCA Objection Letter

83

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

9.	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा एन0पी0वी0 की रू0 42057.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यू0टी0आर0नम्बर-AXTB 173051643259 Dt. 01-11-2017 से जमा करा दिया गया है जिसकी प्राप्ति की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
10.	कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 कि0मी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शर्त के अनुपालन में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू0 1,82,42,796.00 की धनराशि (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority में एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से यू0टी0आर0 नम्बर- UTIBR 52017110200618198 Dt. 02-11-2017 से जमा करा दिया गया है जिसकी प्राप्ति की छायाप्रति पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है।
11.	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
12.	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है
13.	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007 (पीटी) दिनांक 19.08.2010 तथा पत्र संख्या-J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (If Applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	आवश्यकता नहीं है।
14.	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न किया जा चुका है।

(डी0एन0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

15.	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक-11-9/98-एफ0सी0 दिनांक 08.07.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-सन्दर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।	प्रस्ताव के साथ पूर्व में संलग्न किया जा चुका है।
16.	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
17.	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	इस सम्बन्ध में प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।
18.	परियोजना में भूमिगत एम0डी0पी0ई0 गैस पाइप लाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन किया गया है।
19.	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता द्वारा किया जायेगा इस आशय का प्रयोक्ता द्वारा दिया गया बचनबद्धता प्रमाण पत्र पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में समस्त शर्तों का पालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कर लिया गया है तथा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।

भवदीय

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

पत्रांक 3342/14/ दिनांकित

प्रतिलिपि आफीसर इंचार्ज, ग्रीन गैस लि0, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा

प्रस्ताव,

आम प्रकाश,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

श्री. जी.

मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
30 प्र०, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक, 07 जून 2017

विषय- आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर यू०पी०एस०आर०टी०सी० बस स्टैंड से गैल आगरा सिटी गेट तक एवं शमशाबाद मार्ग पर 100फुटा (इन्दपुरम) से पावर ग्रिड कार्पो० लि० तक ग्रीन गैस लि० द्वारा 8" गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.067184 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

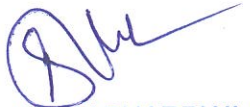
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपने कार्यालय पत्र संख्या-1206/11सी आगरा-4, दिनांक 07-12-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा-निर्देश संख्या-11-09/98-एफसी, दिनांक 07-11-2014 तत्क्रम में राज्य सरकार के शासनादेश सं०-397/11सी-सामान्य, दिनांक 24-10-2016 के दृष्टिगत आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर यू०पी०एस०आर०टी०सी० बस स्टैंड से गैल आगरा सिटी गेट तक एवं शमशाबाद मार्ग पर 100फुटा (इन्दपुरम) से पावर ग्रिड कार्पो० लि० तक ग्रीन गैस लि० द्वारा 8" गैस पाइप लाइन डालने हेतु 0.067184 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति विषयक प्रकरण की शैक्षणिक स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबंधों पर प्रदान करते हैं-

- (1) सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।
- (2) गैस पाइप लाइन/मागों/सड़कों/वर्तमान अधिकारधारिता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे ही विछाये जायेंगे।
- (3) गैस पाइप लाइन हेतु खोदी गयी ट्रेन्च की साइज की गहराई 1.00 मीटर और चौड़ाई 0.8 मीटर से अधिक न होगी।
- (4) प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भर कर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।
- (5) प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- (6) वनभूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनों एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

- (7) प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।
- (8) भूमि का सरफेस राइट्स (Surface Right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत् बना रहेगा।
- (9) प्रस्तावक विभाग द्वारा माओ उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आईओ एओ संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफओसीओ, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एनओपीओवीओ, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority), में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।
- (10) कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी० तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराया जायेगा।
- (11) प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
- (12) प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।
- (13) भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007 एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या- J-11013/41/2006-IA-II(I), दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।
- (14) प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- (15) पर्यावरण एवं वन विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08.07.2011 में दिये गये दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shp) फाइल में दर्शाया गया।
- (16) यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पाके में सम्मिलित है, तो माओ उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- (17) समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (18) परियोजना में की भूमिगत एमओडीओपीओईओ गैस पाइप लाइन विछाया जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एनओपीओवीओ का भुगतान किया जायेगा।
- (19) उपरोक्त के आतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/माओ न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

VINAY SHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

3 यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धांतिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइप लाइन विद्यमान हेतु गैस व अधिकृत लाइसेन्स हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या- पी-192 /14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- (1)- मुख्य वन संरक्षक (केंद्रीय) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
- (2)- वन संरक्षक, आगरा सूत, आगरा।
- (3)- जिलाधिकारी, आगरा।
- (4)- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक चानिकी प्रभाग आगरा।
- (5) ✓ श्री राजीव त्रिपाठी, आफिसर इंचार्ज, ग्रीन गैस लि0 07 पुराना विजयनगर आगरा।
- (6)- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-21

याचक विभाग द्वारा भू-स्वामित्व वाले विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है एवं यह वचनबद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण National Highways Authority of India

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई, लखनऊ / Project Implementation Unit, Lucknow
3/248, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010 (उप्र)
3/248, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (U.P.)



दूरभाष / Phone : 91-522-2302167, ई-मेल / E-mail : luc@nhai.org, वेबसाइट / Website : www.nhai.gov.in

NHAI/PIU-LKO/NH-56/GGL/2022/2845

Date: 18.08.2022

Sir,

Sh. Vinay Bhardwaj

Chief Manager (Projects)/OIC, Green Gas Ltd.

1st Floor, 436 Atterdeep Complex, Devkali Bypass, Faizabad
Ayodhya, UP-224001

Sub.: Regarding permission for laying of 10' carbon Gas Pipeline of 273 MM dia from NH Ch. 90+373 (Near Muskan Dhaba) to NH Ch. 148.825 (near Sanjay Gandhi Ploytechnic College Jagdishpur) along the NH-731 & crossing of NH at Ch. 122+150 in the state of UP. -reg.

- Ref:**
1. M/s Green Gas Ltd. letter no. 258 dated 02.05.2022
 2. IE letter no. 301, dated 09-05-2022.
 3. RO-UP (East) letter no. 17087 dated 11.07.2022

Sir,

This has reference to the above mentioned subject. As per request made by you for granting permission for laying of 10' carbon Gas Pipeline of 273 MM dia from NH Ch. 90+373 (Near Muskan Dhaba) to NH Ch. 148.825 (near Sanjay Gandhi Ploytechnic College Jagdishpur) along the NH-731 & crossing of NH at Ch. 122+150 in the state of UP, this office vide letter no. 2250 dated 19.07.2022 has forwarded the proposal to RO, UP East, Varanasi for soliciting approval of the Competent Authority.

The Competent Authority at Regional Office, UP East, Varanasi has accorded approval of permission and instructed to this office for obtaining the fee and charges before signing of license agreement. In compliance to the same this office vide letter no. 2250 dated 19.07.2022 has requested to M/s Green Gas Ltd. to deposit the approved fees/charges & Bank Guarantee.

In compliance to the above, M/s GGL vide letter no. 687 dated 01.08.2022 has submitted the BG no. 594GT022221100022 amounting to Rs. 60,45,200.00 valid 29.07.2023 and Receipt of license fee deposited in Bharat Kosh amounting to Rs. 2,09,81,364.00 transaction reference no. 2907220004762 dated 29.07.2022.

Upon submitting approved fee/charges and bank guarantee by M/s GGL, the permission to the subject proposal is hereby issued with following conditions:-

- a) The applicant shall ensure all safety measures/norms during execution of work.
- b) The laying of new pipeline shall confirm to relevant IRC guideline and good industry practice, in addition to aforementioned Ministry's guidelines dated 22.11.2016.
- c) It shall be the responsibility of the M/s Green Gas Ltd. to ensure the safety and manoeuvrability of highway traffic against various activities.
- d) The work shall be carried out as per proposed/approved drawing submitted with the proposal. The laying of utility along NH shall be done at the extreme edge of ROW.
- e) Work programme may be submitted before start of the work and ensure timely completion.
- f) The dismantling /restoration of NH-731 road due to laying of pipeline shall be done as per standard & specification and the cost shall be borne by M/s Green Gas Ltd.

Cont: in pg-2-

(डी०एन० सिंह)
प्रशासकीय वनाधिकारी
मुख्य प्रशासक, अयोध्या

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects/OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya, U.P.

- g) It shall be responsibility of M/s Green Gas Ltd. to coordinate with district administration and other required department for getting approval /consent, before start of said work.
- h) It shall be responsibility of M/s GGL to construct diversion road for smooth traffic flow if needed.
- i) In view of any future development requiring necessary alternation, including complete removal or shifting of the said pipeline, the same shall be carried out by M/s GGL at its own cost to the satisfaction of Highway Administrator.
- j) The applicant shall not damage any other utility services already laid along/across the proposed route.
- k) No debris/loose cart will be dumped on NH or within ROW of NH.
- l) The approval is based on the submissions made by the Applicant. The Applicant is responsible for the details provided in the application. The Ministry/NHAI is at liberty to verify the authenticity of the documents at any time. Any misrepresentations, omission or suppression of facts or disclosure of incomplete facts detected at any stage shall lead to withdrawal of this approval with cost to the Applicant.
- m) In case of violation of the norms of Ministry's guidelines, the NOC automatically stand withdrawn/cancelled.

In view of the above, the Approval as received from the Competent Authority, RO, P. East, Varanasi is conveyed subject to various compliances as above and NHAI/MORTH Circulars issued time to time.

Encl : As above.

Yours truly,

(N.N. Giri)

General Manager (T)/Project Director

Copy to: -

1. The DFO, Lucknow, Barabanki & Amethi for information please.
2. The Team Leader, M/s L.N.Malviya Infra Projects Pvt. Ltd , 2nd Floor, C-4/49, Sushant Golf City for information and necessary action.
3. The Authorized Signatory, M/s DBL Lucknow Sultanpur Highways Ltd. for information and necessary action.

(डी०एन०सिंह)
प्रभाकर वनाधिकारी
मुख्य प्रभाग, अमेठी

(S.M.)
VIRAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-22

याचक विभाग के पास वैध व अधिकृत लाइसेन्स है तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
जनपद अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

Petroleum and Natural Gas Regulatory Board

प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001

1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

24th September, 2018

To

Green Gas Limited

2nd Floor, Fortuna Tower,

10 Rana Pratap Marg,

Lucknow-226001

Subject: Grant of Authorization to Green Gas Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Faizabad & Sultanpur Districts.

Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 50 crore vide your letter dated 30.08.2018, as per the requirement under Regulation 10(1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of Faizabad & Sultanpur Districts in duplicate.

2. The tariff applicability is as per the Judgment of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.
3. You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.
4. The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

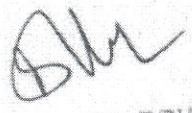
Yours faithfully,

Encl: As above


24/9/2018

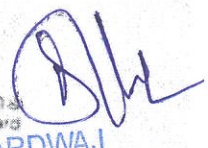
(Arvind Kumar)

Additional Adviser


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Faizabad & Sultanpur-GA


(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
आयुध्या प्रभाग, अमेठी

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
अपर सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
Babar Road, New Delhi - 110001


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Schedule D

[see regulations 10 (1) and 18 (7)]

Grant of authorization for laying, building, operating or expanding CGD network

To

Green Gas Limited

2nd Floor, Fortuna Tower,

10 Rana Pratap Marg,

Lucknow-226001

Subject: Grant of Authorization to Green Gas Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Faizabad & Sultanpur Districts.

Sir,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorization for laying, building, operating or expanding the CGD network in **Faizabad & Sultanpur Districts** in the state of **Uttar Pradesh**, it has been decided to grant you the authorization subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions:

1. The Authorised Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of <6593.39> square kilometre and as depicted in the enclosed drawing or map,
2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network shall commence immediately after the issuance of this authorisation.
3. The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below, namely: -

Serial Number	Description of work	Numbers
1	Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation	4
2	Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation	4000
3	Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation	350

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नई दिल्ली-110001
Babar Road, New Delhi-110001

VINAY BHARDWAJ

(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)		Inch-km of steel pipeline (cumulative)	
By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program
1 st	Nil	1 st	Nil	1 st	5
2 nd	10	2 nd	15	2 nd	20
3 rd	20	3 rd	30	3 rd	40
4 th	30	4 th	45	4 th	60
5 th	40	5 th	60	5 th	70
6 th	60	6 th	75	6 th	80
7 th	80	7 th	90	7 th	90
8 th	100	8 th	100	8 th	100

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

- Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the work programme shall lead to consequences as specified under regulation 16.
- The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorised area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipment and facilities in the CGD network depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.
- The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate the domestic customer on the following manner, namely: -

- the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
अतिरिक्त सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नई दिल्ली-110001
Babar Road, New Delhi-110001

विनय भारद्वाज
Projects IOIC

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रसाध, अमेठी

विनय भारद्वाज
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;

- (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
- (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) above multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

7. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following, namely: -

- (a) 300 months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) 96 months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008:

Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

8. The authorised entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilisation of funds. And, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.

9. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of two hundred and seventy days from the date of authorisation issued by the Board under regulation 10.

10. The entity shall publish on its website the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in the authorised area as per the following table namely: -

Serial Number	Description	Rate
1	Transportation rate for CGD - in rupees per million British Thermal Unit (Rs./MMBTU) for the first contract year	30
2	Transportation rate for CNG - in rupees per kilogram (Rs. /kg) for the first contract year	2
Note - Annual escalation shall be considered from the second contract year and onwards based on the "Wholesale Price Index (WPI) Data (2011-12 = 100)" for "All Group / Commodity", as normally available on the website of the Office of the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on the link " http://eaindstry.nic.in/home.asp ."		

11. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs. / MMBTU.
12. The entity shall publish and display the retail selling price of natural gas for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs. / Kg at all natural gas dispensing stations.
13. The furnishing of performance bond of Rs. 500 Million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed work programme in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.
14. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.
15. In case the authorisation of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR

अतिरिक्त सलाहकार
Additional Adviser

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board

प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
वरिष्ठ रोड, नई दिल्ली-110001
Bar Road, New Delhi 110001

GREEN GAS
Projects / OIC
LIMITED
GA

(डी०एन०सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी

अथवा प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects / OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original.

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
अपर सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रधान सलाहक ट्रेड सेंटर
1st Floor, World Trade Centre
बाबर रोड, नई दिल्ली-110001
Baber Road, New Delhi-110001

Yours faithfully,

Dated:

Name and Designation of Officer
On behalf of the PNGRB

Official Seal

Acceptance of the Grant of Authorisation

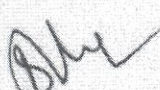
I / We hereby accept the grant of authorisation issued by the PNGRB vide letter ref.

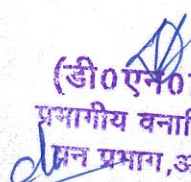
< > dated < > and agree to comply with all the terms and conditions subject to which I/ We have been granted the authorisation for laying, building, operating or expanding city or local natural gas distribution network in the authorised area of _____ in the State or the Union Territory of _____.

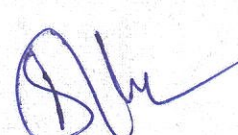
Date:

Place:

Signature of the Entity or Authorised Signatory
Name and Official Seal


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects / OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA


(डी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रधान प्रभाग, अमेठी


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects / OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

GEOGRAPHICAL AREA FAIZABAD & SULTANPUR DISTRICTS

KEY MAP



Total Geographical Area (sq km)	6593.39
No. of Charge Area	7
Total Household	1137639
Total Population	5002082

NAME	CHARGE AREA ID
Lambhua	CA-1
Sultanpur	CA-2
Kadpur	CA-3
Jalaingpur	CA-4
Blakpur	CA-5
Faizabad	CA-6
Sohawal	CA-7
Milkpur	CA-8
Rudauli	CA-9

LEGEND

VECTOR	LANDMARK
TOWN	RAILWAY STATION
DISTRICT HEADQUARTER	POLICE STATION
RAILWAY	
MAJOR DISTRICT ROAD	
STATE HIGHWAY	
NATIONAL HIGHWAY	
WATER BODY	
CA BOUNDARY	
DISTRICT BOUNDARY	
FOREST	
DISTRICT BOUNDARY	
SUBDISTRICT BOUNDARY	

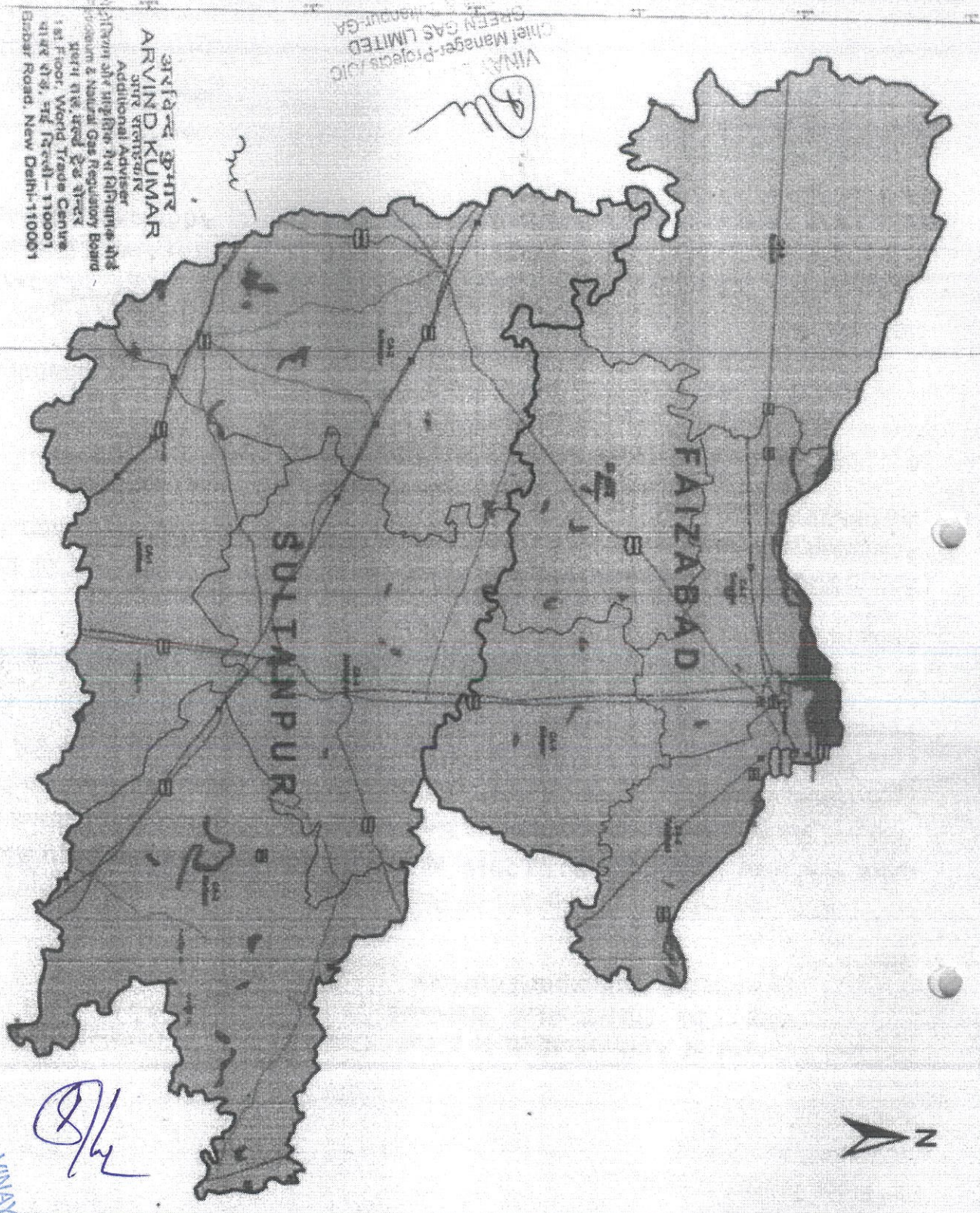


0 5 10 20 30 40 km

PREPARED FOR NATIONAL GAS REGULATORY BOARD
1st Floor, World Trade Centre, New Delhi-110001

VINAY B. BHARADWAJ
Chief Manager
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Map Title: _____
Date: _____
Scale: _____
Map No: _____



VINAY
Chief Manager-Projects/JIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya-GA

अरविन्द कुमार
ARVIND KUMAR
Additional Adviser
Ministry of Natural Gas Regulatory Board
1st Floor, World Trade Centre
Ayodhya, UP-224001
Bardar Road, New Delhi-110001

(डी० एन० सि०)
प्रभागीय वनाधिकारी
मुख्य प्रभाग अमेठी

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-23

याचक विभाग यह वचनबद्धता दी जाती है सक्षम स्तर से पर्यावरण अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।


(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-24

याचक विभाग द्वारा भू-संदर्भित डिजीटल डाटा/मानचित्र कम्पनी द्वारा प्राप्त कर लिया गया है, जो कि प्रस्ताव के साथ संलग्न है।


(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-25

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि कार्य के दौरान मक का उत्सर्जन नहीं होगा अतः मक डिस्पोजल योजना लागू नहीं होती है जिसके संबंधी वचनबद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Name of project: - Green Gas Limited project for Laying of 10" Carbon Steel Gas Pipeline along NH - 731 (Varanasi - Lucknow Road, Left Side) from Km. 112.000 (District Sultanpur/Amethi Border) to Km. 115.588, from Km 122.413 to Km 129.293 & from Km 147.725 to Km 148.825 (Near Sanjay Gandhi Polytechnic College, Jagdishpur) of Total Km. 11.568 & 0.34704 Ha. of Protected Forest in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi, UP.

MUCK DISPOSAL PLANNING

This is not applicable for this project

	Details	Quantity	Unit
	Material received from hill side	Nil	Cum
	Material received from hill cutting including 40% of swell factor.	Nil	Cum
	Total	Nil	Cum
	Disposal and material	Nil	Cum
1.	R.R. Stone masonry laid 1:5	Nil	Cum
2.	R.R. Stone masonry laid dry	Nil	Cum
3.	Hand packed stone filling	Nil	Cum
4.	Construction of wire crate	Nil	Cum
5.	Construction of parapet	Nil	Cum
6.	Granular of sub base / base / surface	Nil	Cum
7.	Construction of scrapper.	Nil	Cum
8.	Construction of road side drain.	Nil	Cum
9.	Super elevation and patria filling	Nil	Cum
10.	Concrete work	Nil	Cum
11.	Total	Nil	Cum
12.	Material disposal by cartage	Nil	Cum

Summary of Debris Disposal.

S.No.	Total Material	Material Disposal	Reused material for road construction	Total Disposal in dumping zone
	Nil	Nil	Nil	Nil

(जी० एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी



VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Name of project: - Green Gas Limited project for Laying of 10" Carbon Steel Gas Pipeline along NH - 731 (Varanasi - Lucknow Road, Left Side) from Km. 112.000 (District Sultanpur/Amethi Border) to Km. 115.588, from Km 122.413 to Km 129.293 & from Km 147.725 to Km 148.825 (Near Sanjay Gandhi Polytechnic College, Jagdishpur) of Total Km. 11.568 & 0.34704 Ha. of Protected Forest in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi, UP.

DETAIL OF MUCK DISPOSAL SITES

S No.	Location of dumping yard	Owner of land	Khasra no	Area (Hact)	Height of dumping Zone(m)	Capacity of dumping zone	Longitude /Latitude
	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

This is not applicable for this project.

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

Name of project: - Green Gas Limited project for Laying of 10" Carbon Steel Gas Pipeline along NH - 731 (Varanasi - Lucknow Road, Left Side) from Km. 112.000 (District Sultanpur/Amethi Border) to Km. 115.588, from Km 122.413 to Km 129.293 & from Km 147.725 to Km 148.825 (Near Sanjay Gandhi Polytechnic College, Jagdishpur) of Total Km. 11.568 & 0.34704 Ha. of Protected Forest in Social Forestry Division Amethi, District - Amethi, UP.

Certificate of Muck Disposal

This is certify that for Laying of Gas Pipeline along with road on NH - 731 (Varanasi - Lucknow Road, Left Side) from Km. 112.000 (District Sultanpur/Amethi Border) to Km. 115.588, from Km 122.413 to Km 129.293 & from Km 147.725 to Km 148.825 (Near Sanjay Gandhi Polytechnic College, Jagdishpur) of Total Km. 11.568 & 0.34704 Ha. of Protected Forest in Amethi District in state of Uttar Pradesh the excavated material/Muck generated shall be "NIL". The entire quantity of excavated material will be reused for back filling of pits for the project and therefore no disposal is required.

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी


VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-27

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि परियोजना स्थल के आस पास के फलोरा (वनस्पति)/फाना के संरक्षण हेतु हरसंभव उपाय किया जाएगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-28

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि प्रत्यावर्ती वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक होगा तो नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करा जायेगा।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायीं पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

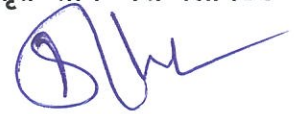
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-29

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय मध्य क्षेत्र, लखनऊ के अनुश्रवण के अधीन होगी।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
प्रमोद प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-30

याचक विभाग द्वारा, प्रभागीय वनाधिकारी, अमेठी वन प्रभाग, अमेठी, उ०प्र०, के पत्र सं०- 661/14-1, दिनांक अमेठी, 30.09.2022 के अनुपालन में परियोजना में प्रभावित हो रही 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशी रु 3,32,388/- (तीन लाख बत्तीस हजार तीन सौ अठ्ठासी रुपये मात्र) E-Payment Portal के माध्यम से दिनांक 15.11.2022 को कैम्पा फन्ड में जमा करा दी गयी है।

(डी०एन०सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड



अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में ग्रीन गैस लि० द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग के बायी पटरी) के किमी० 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से किमी० 115.588 तक, किमी० 122.413 से किमी० 129.293 तक एवं किमी० 147.725 से किमी० 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 किमी० एवं 0.34704 हे० संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के मार्ग के किनारे ओपन ट्रेन्च/एच०डी०डी० तकनीकी के माध्यम से भूमिगत 10 इंच व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइप लाइन बिछाये जाने की अनुमति के संबंध में।

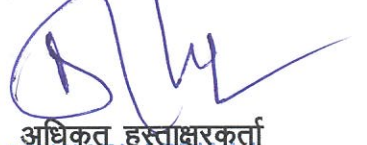
ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- एफपी/यूपी/पाईपलाईन/153911/2022

वचनबद्धता प्रमाण-पत्र, बिन्दू सं०-32

याचक विभाग द्वारा यह वचनबद्धता दी जाती है कि भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर स्वयं उत्तरदायी होगा।

(डी०एन० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन विभाग, अमेठी

कृते ग्रीन गैस लिमिटेड


अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA

जनपद अमेठी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-731 (वाराणसी-लखनऊ मार्ग, बायीं पटरी) के कि.मी. 112.000 (सुलतानपुर/अमेठी जिला बार्डर) से कि.मी. 115.588 एवं कि.मी. 122.413 से कि.मी. 129.293 एवं कि.मी. 147.725 से कि.मी. 148.825 (निकट संजय गांधी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जगदीशपुर) तक कुल लम्बाई 11.568 कि.मी. एवं 0.34704 हे० पर सड़क के किनारे पर ओपन ट्रेंच/एच.डी.डी. तकनीक के माध्यम से भूमिगत 10" व्यास की कार्बन स्टील गैस पाइपलाइन बिछाए जाने हेतु संरक्षित वन क्षेत्र में अनुमति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/Pipeline/153911/2022, dated 28/03/2022

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा विषयगत प्रेषित प्रस्ताव का भली-भांति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से संतुष्ट हैं कि प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत निर्गत आदेशों, नियमों व दिशा-निर्देशों के अनुरूप है। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(डी० एन० सिंह)
प्रभाषीय निदेशक,
सामाजिक नानिक् प्रभाग,
अमेठी


कृते ग्रीन गैस लिमिटेड
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
VINAY BHARDWAJ
Chief Manager-Projects /OIC
GREEN GAS LIMITED
Ayodhya & Sultanpur-GA